



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239346
CG-DL-E-06102022-239346

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]
No. 247]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

जांच शुरूआत

[मामला सं. एडी (एसएसआर) 10/2022]

विषय: चीन जन.गण. से “हाई टिनेसिटी पॉलिएस्टर यार्न” के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।

फा. सं.7/21/2022-डीजीटीआर.— समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे “अधिनियम” के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे “नियमावली” अथवा “पाटनरोधी नियमावली” के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इसके बाद इसे “आवेदक” अथवा “घरेलू उद्योग” के रूप में भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे “प्राधिकारी” के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन.गण. (इसके बाद इसे “संबद्ध देश” के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “हाई टिनेसिटी पॉलिएस्टर यार्न” (इसके बाद इसे ‘विषयगत सामान’ या ‘विचाराधीन उत्पाद’ के रूप में भी जाना जाता है) चीन पीआर में उत्पन्न या निर्यात किया गया है (बाद में इसे ‘विषय देश’

के रूप में भी जाना जाता है), और विचाराधीन उत्पाद के आयात पर शुल्क की निरंतरता, साथ ही साथ जांच के तहत उत्पाद के आयात पर इस तरह के शुल्क का विस्तार 27 जुलाई 2022 को शुरू किया गया था।

अधिनियम की धारा 9क,(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उसे पहले हटा न लिया जाए, इसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर पर प्रभाव समाप्त होगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा किए जाने की जरूरत है कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकारी को, घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से एक विधिवत प्रमाण सहित अनुरोध किए जाने के आधार पर यह समीक्षा करनी अपेक्षित है कि क्या शुल्क के समाप्त होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. पूर्व जांच की पृष्ठभूमि

1. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 6/12/2017-डी जी ए डी के अनुसार 15 जून, 2017 को आरंभ की गई थी। इसी जांच में, प्राधिकारी द्वारा दिनांक 24 मई, 2018 की अधिसूचना सं. 6/12/2017-डीजीएडी के तहत अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए थे, जिसमें संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की पुष्टि की गई थी, जिसे दिनांक 9 जुलाई, 2018 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 35/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत कार्यान्वित किया गया था। ये शुल्क 5 वर्षों की अवधि के लिए लगाए गए थे और 8 जुलाई, 2023 को समाप्त होना तय किया गया था।

2. आवेदक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से एक प्रवंचनारोधी जांच आरंभ करने का अनुरोध किया है। आवेदक द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, प्राधिकारी ने दिनांक 27 जुलाई, 2022 की अधिसूचना के आधार पर, चीन से असामान्य डेनियर्स के हाई टिनेसिटी पॉलिएस्टर यार्न के आयातों पर एक प्रवंचनारोधी जांच आरंभ की। आवेदक ने अनुरोध किया कि उपरोक्त उल्लिखित प्रवंचनारोधी जांच में विचाराधीन उत्पाद को शामिल करने के लिए वर्तमान निर्णायक समीक्षा के दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए।

ख. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “हाई टिनेसिटी पॉलिएस्टर यार्न” है जिसे बाजार की भाषा में पॉलिएस्टर इंडस्ट्रियल यार्न (पीएलवाई) अथवा औद्योगिक यार्न (आईडीआई) भी कहा जाता है। इस उत्पाद के दायरे में 1000 से कम डेनियर, 6000 से अधिक डेनियर, ट्विस्टेड यार्न, रंग बिरंगे यार्न, अधेसिव सक्रिय यार्न 1000 से अधिक डेनियर वाले यार्न और एच एम एल एस विशेषताओं वाले यार्न शामिल नहीं हैं। पीयूसी का दायरा मूल जांच के समान ही रहता है।

4. आवेदक ने आगे अनुरोध किया है कि विचाराधीन आयातों पर शुल्क को जारी रखने तथा 27 जुलाई, 2022 को आरंभ की गई प्रवंचना रोधी जांच में जांचाधीन उत्पादों के आयातों पर ऐसे शुल्कों का विस्तार किए जाने की जरूरत है। निम्नलिखित उत्पाद (जिन्हें यहां “प्रवंचनारोधी उत्पाद” भी कहा गया है) नाम,विवरण अथवा संयोजन में बदलाव के बाद, भारत में आयात किए जा रहे हैं और प्रवंचनारोधी जांच के विचाराधीन उत्पाद के दायरे का निर्माण करते हैं:

(क) 1000 डेनियर्स से कम किन्तु 840 डेनियर्स से अधिक, दोनों अधेसिव सक्रिय उच्च टिनेसिटी वाले पॉलिएस्टर यार्न और अन्य।

(ख) 6000 डेनियर्स से अधिक किन्तु 7000 डेनियर्स से कम के उच्च टिनेसिटी पॉलिएस्टर यार्न।

(ग) 1000 डेनियर्स से अधिक किन्तु 1300 डेनियर्स से कम के अधेसिव सक्रिय उच्च टिनेसिटी पॉलिएस्टर यार्न।

5. संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग सामान्यतः टायर कार्ड फैब्रिक, सीट बेल्ट ब्रेबिंग, जियो ग्रीड, जियो स्ट्रिप्स, स्लिंग्स, रोप्स, सिंगल कॉर्ड, कोटिड फैब्रिक, कन्वेयर बेल्ट फैब्रिक, रबराइज्ड हौज,फायर हौज, ऑटोमेटिव हौज आदि के विनिर्माण में किया जाता है।

6. संबद्ध वस्तुओं का टैरिफ कोड 5402 20 90 के अंतर्गत अध्याय 54 के तहत वर्गीकरण किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से संबद्ध जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

7. आवेदक ने वर्तमान मामले में पीसीएन वार तुलना करने का सुझाव दिया है। प्राधिकरण ने मूल जांच में निम्नलिखित पीसीएन पद्धति को अधिसूचित किया था और आवेदक ने अनुरोध किया था कि वर्तमान जांच में भी इस पर विचार किया जाए। सभी इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर आवेदक द्वारा सुझाए गए पीसीएन पर टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करें।

एस.एन.	पैरामीटर	पीसीएन अंक	व्याख्या
1	डेनिएर	XXXX (4 अंक)	0000 = अज्ञात, 1000 = 1000 डेनियर, 2200 = डेनियर, ... और इसी तरह
2	टाइप	XX (2 अंक)	एचटी - उच्च तप
			एचएम - उच्च मापांक कम संकोचन (एचएमएलएस)
			एलएस - कम संकोचन
			ओटी - अन्य
3	परत	XX (2 अंक)	एए - चिपकने वाला सक्रिय
			एनए - गैर-चिपकने वाला सक्रिय

क. समान वस्तु

8. आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे गुणों के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा, वर्तमान आवेदन पाटनरोधी शुल्क को लगाया जाना जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच के लिए है। समान वस्तु के मामले की, प्राधिकारी द्वारा विगत जांचों में भी जांच की जा चुकी है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से उत्पादित और आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।

ख. घरेलू उद्योग और आधार

9. यह आवेदन मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया है। जैसा कि आवेदक द्वारा दावा किया गया है, आवेदक के अलावा, एस आर एफ लिमिटेड, फेयरडील मल्टीफिलामेंट प्रा. लिमिटेड, सनाथन टैक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, वेलनॉन पॉलिएस्टर्स लिमिटेड और फैरोटैरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी समान वस्तु के उत्पादन में संलग्न हैं। आवेदक ने यह भी प्रमाणित किया है कि उसने संबद्ध वस्तुओं का न तो आयात किया है और न ही वह भारत में संबद्ध देश से निर्यातकों अथवा आयातकों से संबद्ध है।

10. इसे देखते हुए, और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि यह आवेदन “घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से” दाखिल किया गया है और नियम 5(3) के संदर्भ में आधार की अपेक्षाओं को पूरा करता है, यद्यपि, निर्णायक समीक्षा जांच आवेदन में नियम 5(3) लागू नहीं होता और आवेदक नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग है।

ग. संबद्ध देश

11. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल देश चीन जन.गण. है।

घ. पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना

i. सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और चीन जन.गण. में उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाए कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि चीन के प्रतिवादी उत्पादकों के मामले में, वे यह प्रदर्शित नहीं कर पाते कि उनकी लागतें और

कीमत संबंधी सूचना बाजार से संचालित हैं, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

13. आवेदक ने भारत में भुगतान की जाने वाली कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रयोजन हेतु, आवेदक ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभों के लिए परिवर्धन के साथ, भारत में उत्पादन की लागत प्रस्तुत की है। तत्काल जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य को तदनुसार निर्धारित किया गया है।

14. हितबद्ध पक्षकारों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें और इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली के संबंध में विधिवत प्रमाण सहित दावे करें।

ii. निर्यात कीमत

15. आवेदक ने भारत में आयात के लिए रिपोर्ट किए गए सीआईएफ मूल्य को डीजी सिस्टम के रूप में, शुद्ध निर्यात मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाया है, क्योंकि डीजीसीआईएंडएस डेटा पहुंच योग्य नहीं है।

16. कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए सी आई एस एफ कीमतों के लिए निम्नलिखित समायोजनों का दावा किया गया है :-

- (क) समुद्री माल भाड़ा
- (ख) समुद्री बीमा
- (ग) कमीशन
- (घ) अंतर्देशीय माल भाड़ा
- (ङ.) पत्तन व्यय
- (च) बैंक प्रभार

17. इस प्रकार, जांच की शुरुआत के प्रयोजन हेतु, कार्य पद्धति के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है, जैसाकि आवेदक द्वारा प्रस्ताव किया गया है।

iii. पाटन मार्जिन

18. उपरोक्तानुसार, निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(क)(1)(क) के अनुसार पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। यह नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन केवल न्यूनतम के स्तर से अधिक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है। इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमतों की तुलना में काफी अधिक है, यह दर्शाता है कि संबद्ध देश में उत्पन्न या निर्यातित संबद्ध वस्तुओं को पाटित कीमतों पर निर्यात किया जा रहा है और इस प्रकार निरंतर पाटन को दर्शाता है ताकि जांच शुरू करने का औचित्य साबित करने के लिए।

ड. क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

19. कीमत कटौती, पीयूसी के नाम, विवरण और संयोजन में बदलाव करने के द्वारा वर्तमान शुल्क की प्रवचना, उचित कीमतों पर प्रतिस्पर्धा करने की आवेदक की अक्षमता, चीन से संबद्ध वस्तुओं का लगातार पाटन, चीन के उत्पादकों द्वारा धारित निष्क्रिय क्षमताएं, अन्य देशों द्वारा लागू किए गए उपाय, भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता, चीन के उत्पादकों के पास महत्वपूर्ण और बढ़ती क्षमताएं, आयातों के ह्रासकारी प्रभाव की संभावना और शुल्क समाप्त होने पर घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना में आयातों के महत्वपूर्ण अंश के संबंध में पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति के जारी रहने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना प्रथम दृष्टया यह दर्शाती है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का लगातार पाटन हो रहा है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

च. सूर्यास्त समीक्षा जांच की शुरुआत

20. आवेदक के विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, डंपिंग और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना को प्रमाणित करने और धारा 9ए(5) नियमावली के नियम 23 (1बी) के साथ पठित, प्राधिकरण एतद्वारा इस विषय से उत्पन्न या निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करता है। देश और यह जांचने के लिए कि क्या इस तरह के शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

छ. जांच की अवधि (पीओआई)

21. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की है। क्षति जांच की अवधि में वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और जांच की अवधि शामिल होगी। जांच की अवधि के बाद के डेटा की भी जांच की जाए ताकि पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण हो सके।

ज. प्रक्रिया

22. वर्तमान जांच में दिनांक 24 मई, 2018 की अधिसूचना सं. 06/12/2017-डीजीएडी के तहत प्रकाशित मूल जांचों के अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल हैं। नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में समुचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

झ. सूचना प्रस्तुत करना

23. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adg13-dgtr@gov.in, और adv12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/ एम एस वर्ल्ड फॉर्मेट में हो और आंकड़ों की फाइलें एमएस एक्सेल फॉर्मेट में हों।

24. ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

25. उपरोक्त पैरा 25 में उल्लिखित ई-मेल पतों पर कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.dgtr.gov.in/> पर नियमित रूप से नजर रखें।

ञ. समय-सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नोटिस प्राप्त कर दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। हालांकि, यह नोट किया जाना चाहिए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के संदर्भ में, सूचना और अन्य दस्तावेजों की मांग करने वाले नोटिस को उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त किया गया माना जाएगा जिसको निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इसे प्रेषित किया गया था अथवा निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को संप्रेषित किया गया था। यदि विहित

समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ट. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत किया जाना

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

31. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

32. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

33. गोपनीय पाठ में ऐसी सभी सूचना शामिल होगी, जो गोपनीय प्रकृति की है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना शामिल होगी, जिसके लिए उस सूचना के आपूर्तिकर्ता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है, जिस सूचना के गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, तो उस सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई सूचना के साथ उचित कारण बताते हुए विवरण प्रस्तुत करना होगा कि क्यों ऐसी सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

34. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य इच्छुक पक्ष दस्तावेज़ के गैर-गोपनीय संस्करण को प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं।

35. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

36. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

37. प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना की गोपनीय होने की जरूरत को स्वीकार करते हुए, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को इसे प्रकट नहीं करेंगे।

ठ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

38. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकते हैं। इलैक्ट्रॉनिक माध्यम में सार्वजनिक फाइल को रखने की प्रविधियां तैयार की जा रही हैं।

ड असहयोग

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

INITIATION

[Case No. AD (SSR) - 10/2022]

Subject: Initiation of sunset review of anti-dumping duty imposed on imports of 'High Tenacity Polyester Yarn' from China PR.

F. No. 7/21/2022-DGTR.—Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or the "Anti-Dumping Rules"), M/s Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as the 'applicant' or 'domestic industry') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") for sunset review investigation of antidumping duty on imports of "High Tenacity Polyester Yarn" (hereinafter also referred to as the 'subject goods' or the 'product under consideration') originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the 'subject country'), and continuation of duty on imports of product under consideration, as well as extension of such duties on imports of the product under investigation in the anti-circumvention investigation initiated on 27th July 2022.

In terms of Section 9A, (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

A. Background of the Previous Investigation

1. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide notification No. 6/12/2017-DGAD on 15th June 2017. In the same investigation, the final finding was issued vide notification No. 06/12/2017-DGAD dated 24th May 2018 confirming imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject country, which were implemented vide Customs Notification No. 35/2018 –Customs (ADD) dated 9th July 2018. The said duties were levied for a period of 5 years and are set to expire on 8th July 2023.

2. The applicant requested the Designated Authority to initiate an anti-circumvention investigation. Based on the duly substantiated application filed by the applicant, the Authority vide Notification dated 27th July 2022 initiated an anti-circumvention investigation on imports of High Tenacity Polyester Yarn of abnormal deniers from China. The

applicant requested that the scope of the present sunset review be extended to include the product under investigation in the abovesaid anti-circumvention investigation.

B. Product under consideration (PUC)

3. The product under consideration in the present investigation is “High Tenacity Polyester Yarn” also known as Polyester Industrial Yarn (PIY) or Industrial Yarn (IDY) in the market parlance. The product scope excludes yarns having denier below 1000, denier above 6000, twisted yarns, colored yarns, adhesive activated yarns with denier higher than 1000 and yarns with HMLS properties. The scope of the PUC remains the same as in the original investigation.

4. The anti-circumvention investigation was initiated on 27th July 2022. The following products (hereinafter also referred to as the "circumventing products") are being imported into India, after alteration of name, description or composition and formed the scope of the product under investigation of the circumvention investigation:

- a) High tenacity polyester yarns of less than 1000 deniers, but more than 840 deniers, both adhesive activated and others.
- b) High tenacity polyester yarns of more than 6000 denier, but less than 7000 deniers.
- c) Adhesive activated high tenacity polyester yarns of more than 1000 deniers, but less than 1300 deniers.

5. The subject goods are generally used in manufacturing of tyre cord fabric, seat belt webbing, geo grid, geo strip, slings, ropes, single cord, coated fabric, conveyor belt fabric, rubberised hose, fire hose, automotive hose, etc.

6. The subject goods are classified under Chapter 54, under tariff code 5402 20 90. The customs classification is indicative only and, in no way, binding on the scope of the subject investigation.

7. The applicant has suggested to undertake a PCN wise comparison in the present case. The Authority had notified the following PCN methodology in the original investigation and the applicant requested that the same may be considered in the present investigation as well. All interested parties are requested to offer comments, if any, on PCN suggested by the applicant within 15 days from the date of the issue of this notification.

S. No.	Parameter	PCN DIGIT	Explanation
1	Denier	XXXX (4 Digits)	0000 = Unknown, 1000 = 1000 Denier, 2200 = Denier, ...and so on
2	Type	XX (2 Digits)	HT - High Tenacity HM - High Modulus Low Shrinkage (HMLS) LS - Low Shrinkage OT – Others
3	Coating	XX (2 Digits)	AA - Adhesive Activated NA – Non-Adhesive Activated

C. Like Article

8. The applicant has claimed that there is no significant difference in the product produced by the domestic industry and the one exported from the subject country. The product produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and are used by consumers interchangeably. Further, the present application is for sunset review investigation for the continued imposition of anti-dumping duty. The issue of like article has been examined by the Authority in the previous investigation as well.

The product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration produced and imported from subject country.

D. Domestic Industry and Standing

9. The application has been filed by M/s. Reliance Industries Limited. As claimed by the applicant SRF Limited, Fairdeal Multifilament Pvt. Limited, Sanathan Textiles Private Limited, Wellknown Polyesters Limited and Ferretero India Private Limited apart from the applicant, are also engaged in the production of like article. The applicant has further certified that it has not imported the subject goods nor is related to the exporters from the subject country or importers in India.

10. In view of the same, and based on the information available on record, the Authority is satisfied that the application has been made 'by or on behalf of the domestic industry' and satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3), even though the requirements of Rule 5(3) are not applicable in sunset review application, and the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

E. Subject Country

11. The country involved in the present sunset review investigation is China PR.

F. Likelihood of continuation or recurrence of dumping

i. Normal value

12. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of para 7 of Annexure I to the Rules.

13. The applicant proposed that normal value can be determined based on the price payable in India. For this purpose, the applicant has submitted cost of production in India, with addition for selling, general and administrative expenses and reasonable profits. The normal value has accordingly been determined for the purpose of the initiation of the instant investigation.

14. The interested parties are advised to offer their comments, and make duly substantiated claims with regard to methodology to be adopted for determination of normal value, having regard to the provisions of para-7 and 8 of Annexure-I within the time limits prescribed in this notification.

ii. Export price

15. The applicant has adopted the CIF price reported for imports in India, as DG Systems, for determination of net export price, since the DGCI&S data is inaccessible.

16. The following adjustments have been claimed to the CIF prices in order to determine the ex-factory export price:

- a. Ocean freight
- b. Marine insurance
- c. Commission
- d. Inland freight
- e. Port expenses
- f. Bank charges.

17. Thus, for the purpose of initiation of this investigation, the export price has been determined based on the methodology as proposed by the applicant.

iii. Dumping margin

18. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined, in accordance with Section 9 A(1)(a) of the Customs Tariff Act, 1975. It is noted that dumping margin is not only above *de minimis* level, but also significant. There is *prima facie* evidence that normal value of the subject goods in the subject country are significantly higher than the net export prices, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country are being exported at dumped prices, thus, indicating continued dumping so as to justify initiation of investigation.

G. Likelihood of continuation or recurrence of injury

19. There is *prima facie* evidence of continuation of dumping and consequent injury on account of continued significant share of dumped imports in total demand, price undercutting, circumvention of the existing duty by way of alteration of name, description and composition of the PUC, inability of the applicant to compete at fair prices, continued dumping of the subject goods from China, idle capacities held by the producers in China, measures imposed by other countries, significant and growing capacities with Chinese producers, and likely injury to the domestic industry in the event of cessation of duties. The information provided by the applicant, *prima facie*, shows continuation of dumping of the subject goods from the subject country, and likelihood of injury to domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duty.

H. Initiation of sunset review investigation

20. On the basis of the duly substantiated application of the applicant, and having satisfied itself, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

I. Period of Investigation (POI)

21. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2021 to 31st March 2022. The injury investigation period will cover the periods 2018-19, 2019-20, 2020-21 and the period of investigation. The data beyond the period of investigation may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

J. Procedure

22. The present review covers all aspects of the final findings of the original investigations published vide Notification No. 06/12/2017-DGAD dated 24th May 2018. The provisions of Rules 6,7,8,9, 10, 11, 16, 17,18,19 and 20 of the Rules shall be *mutatis mutandis* applicable in this review.

K. Submission of information

23. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address, jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adg13-dgtr@gov.in, and adv12-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

24. The known exporters, their Government through their Embassy in India, the importers, and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

25. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email address mentioned in Para 25 above.

26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

27. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <https://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

L. Time-Limit

28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in within thirty (30) days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

M. Submission of information on confidential basis

30. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

31. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

32. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

33. The confidential version shall contain all the information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

34. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional

circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.

35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

37. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of Public File

38. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

O. Non-cooperation

39. In case where an interested party refuses access to or otherwise, does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority